

STATE DISASTER MANAGEMENT AUTHORITY

STATE DISASTER MANAGEMENT AUTHORITY का गठन:-

केन्द्र सरकार के आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 की धारा 14[1] में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य सरकार द्वारा पत्रांक 3449/आ० प्र०,पटना -15 दिनांक- 6-11-2007 को SDMA का गठन किया गया ।

इसके अध्यक्ष माननीय मुख्यमंत्री होते हैं। प्राधिकरण के माननीय उपाध्यक्ष के साथ दो अन्य सदस्य हैं। बिहार के मुख्य सचिव इसके पदेन सचिव होते हैं।

इसके गठन का मुख्य उद्देश्य -

- राज्य आपदा नीति बनाना ।
- राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण द्वारा निर्धारित नीति के अंतर्गत राज्य योजना का अनुमोदन करना ।
- राज्य सरकार के अधीन विभिन्न विभाग द्वारा तैयार किये गये आपदा प्रबंधन योजना का अनुमोदन करना ।
- तैयार मार्गदर्शन को सम्बंधित विभागों से कार्यान्वित करवाना ।
- जन जन जागरूकता फैलाना ।

प्राधिकरण निम्न DIVISION के कार्य को सुविधाजनक बनाने का कार्य भी करती हैं-

- Natural Disaster Division
- Environment & Climate Change Adaptation Division
- Human Induced Disaster Division
- Administration & Finance Division

आगामी वर्ष में आपदा प्रबंधन द्वारा प्राधिकरण के सुदृढीकरण की योजना है । ताकि प्राधिकरण आपदा प्रबंधन अधिनियम के प्रावधानों के अंतर्गत निर्धारित कार्यों को पूर्ण क्षमता के साथ संपादित कर सके ।